न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्षमण सि

अ

प्रकरण संख्याः– 372/2022

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व नाम एयू फाईनंसर्स (इण्डिया)लि0) रजि. कार्यालय 19–ए, धुलेश्व अजमेर रोड, जयपुर–302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छितरमल उम्र 38

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र मातुराम, उम्र 56 साल,
2. प्रेम देवी पत्नि सुरेश पुत्री गुरूदयाल सिंह, उम्र 49 साल,
   समस्त जातियान नाई, निवासीगण ग्राम लिखवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं पि 333031

—— अप्र

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

——

उपस्थितः–

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा– प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष म आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे 5,00, रूपये अक्षरे पांच लाख रूपये की ऋण सुविधा खाता सं0 L9001060117879118 दिनांक 28.06.2019 की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋ प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है– अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय भूमि क नं0 07, ग्राम लिखवा, ग्राम पंचायत लिखवा, पंचायत समिति एवं तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं नप 66 Sq.Yrd. (वर्गगज) अप्रार्थी प्रेम देवी के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार

पूरब	भूखण्ड रामदेव पारीक	पश्चिम	घर मदनलाल नाई
उत्तर	रास्ता आम	दक्षिण	आम रास्ता

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बै दिनांक 01.08.2022 को (NPA) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्र द्वारा मांग नोटिस दिनांक 06.08.2022 द्वारा अ0 धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिक पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत ... दिवस के ब 5,87,814/रूपये अक्षरे पांच लाख सत्यासी ... रूपये मय ब्याज व खर्च 2022 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आ अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचि प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधि अवस्थित है– अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय भूमि का पट्टा नं0 07, ग्राम लिखवा, ग्राम पंचायत पंचायत समिति एवं तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं नपति 176.66 Sq.Yrd. (वर्गगज) अप्रार्थी प्रेम मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

पूरब	भूखण्ड रामदेव पारीक	पश्चिम	घर मदननलाल नाई
उत्तर	रास्ता आम	दक्षिण	आम रास्ता

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अ द्वारा रोक नही है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावें अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्त हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रा द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्राव सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही। अप्रार्थीगण सं0 1 लग के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋ भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीग प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनि धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रा स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्त के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के साथ हुये अनु अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिव इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय भूमि का पट्टा नं0 07, ग्राम लिखवा, ग्राम पंचायत लिखवा, पंचायत समि तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं नपति 176.66 Sq.Yrd. (...) जो कि अप्रार्थी सं0 2 प्रेम मालिकाना हक की है का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक ... को जरिये संबंधित पुलिस थ इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के खर्चे पर आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कु
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट,